

प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देव गौड़ा, 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधन।

भाइयो, बहनो तथा प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर आप सब को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। मुझे वो दिन याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, इसी ऐतिहासिक लाल किले से पंडित जवाहर लाल नेहरू के भाषण से मुझे प्रेरणा मिली थी। उन्होंने अपने आपको भारत की जनता का प्रथम सेवक कहा था। आज मैं आपके सामने एक विनम्र सेवक के रूप में खड़ा हूं। मैं एक छोटे से किसान परिवार का हूं। मुझे कल्पना तक नहीं है कि मैं लाल किले से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सम्बोधन करूंगा। मुझ जैसे एक किसान के बेटे को यह अवसर मिलना, हमारे संविधान और लोकतंत्र की देन है।

महात्मा गांधी की पुकार पर, हमारे देश के हर क्षेत्र, मत और विचार के लोग आजादी की लड़ाई में जुट गये। उन्होंने हमारे लिए आजादी के..., आज के दिन हम उन स्वतंत्रता आंदोलन के उन सभी नेताओं और सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता ने जो बलिदान किया, उसको भी हमें स्मरण रखना है। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का जो मार्ग अपनाया, उससे देश में एकता की भावना जगी। इस एकता की विशेषता है कि यह केवल सीमा से जुड़ी या ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि यह इस अटूट विश्वास पर आधारित है कि यह राष्ट्र इसमें रहने वाले सभी लोगों को है। इसका रूप मिला-जुला और धर्मनिरपेक्ष है। सदियों से भारत शब्द ने हमारे देश के प्रत्येक भाषा तथा प्रत्येक भारतीय के दिल में एकता की भावना जगाए रहे। भारतीयता की पहचान बनाई है। संस्कृत का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है- वर्षं तद भारतं भारती यत्र संततिः। सदियों से इस महान देश में रहने लोग चाहे वो किसी भी मत के मानने वाला हो, उनकी अलग-अलग भाषा हो, उनका कैसा भी रंग रूप हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वे सभी इस देश के निवासी हैं, वे सभी भारतीय हैं। यही हमारी विरासत है, यही हमारा इतिहास है और ये हमारी सभ्यता है। जब भी हम एकता और धर्मनिरपेक्षता से हटें और कट्टरवाद का सहारा लिया, हमारे देश का पतन हुआ।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सभी देशवासियों में सद्भावना और सहनशीलता को और ठोस किया जाये। हमारे सरकार को चलाने के लिए हमने एक कॉमन नियम प्रोग्राम बनाया है, इस कार्यक्रम में हमने संकल्प किया है कि हम देश कुछ हाल ही में लोगों का जीवन बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। मैं एक गांव का रहने वाला हूं, जहां हमारे अधिकतर भाई-बहन रहते हैं। मैंने गरीबी और अभाव को बहुत निकट से देखा है। मैं आम आदमी और उनके कष्टों को जानता हूं। मैं इस कार्यक्रम को जारी करने में मैं अपना कर्तव्य और सौभाग्य मानता हूं।

हमारी सरकार ने यह संकल्प किया है कि हम ग्रामवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रयत्न करेंगे। हमारी सरकार सही अर्थ में इस महान परंपरा और विरासत के अनुरूप है। हमारा लोकतंत्र संघीय रचना और शासन व्यवस्था के अनुरूप एक स्थिर और मजबूत सरकार देने में सक्षम है। हमारी सरकार संघवाद, विकेन्द्रीकरण और सामाजिक न्याय पर आधारित है। और हम राष्ट्र तथा प्रत्येक नागरिक के सम्मान और मर्यादा को बनाये रखेंगे।

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखें। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी मिलीजुली परंपरा को जीवित रखें। ये सरकार सभी समुदायों एवं वर्गों के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए, सभी कदम उठाएंगे। हम सभी लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करने का वचन देते हैं।

मैं कुछ दिन पहले पंजाब गया था। मैं पंजाब के लोगों के उस दृढनिश्चय से बहुत प्रभावित हुआ। जिससे उसने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और अपनी प्रगति को जारी रखा। मैं पंजाब के लोगों को उनकी बहादुरी तथा

समझदारी के लिए बधाई देता हूं। हाल ही में समाज के अनेक वर्गों के बीच जातिय, हिंसा और अनावश्यक संघर्ष की कुछ घटनाओं से मुझे बहुत दुख हुआ है। जिसमें हमारे कुछ भाइयों तथा बहनो और मासूम बच्चों के प्राण गये हैं। इन परिवारों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। हम उन्हें पूरी सहायकता देंगे। अलगाववाद, आतंकवाद, अपराध और असमाजिक गतिविधियों से प्रेरित हिंसा के लिए हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। इससे हमारी सरकार सख्ती से निपटेगी।

जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। वहां के लोग हमारे अपने लोग हैं, भारतीय हैं। यह स्थिति सदियों से बरकरार है। हमको, आपको मालूम है कि कश्मीर की सभी समस्या कुछ विदेशी ताकतों द्वारा खड़ी की गई है। इसके बारे में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। हम देश की अखण्डता को हर कीमत पर बनाए रखेंगे। मैं दो बार जम्मू कश्मीर गया। वहां के लोगों से मिला। उनकी इच्छा को जाना। वहां हालात बदल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में संसद का चुनाव कराना हमारे लोकतंत्र की विजय है। जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भारत विरोधी आतंकवाद को नकार कर अपने विवेक का परिचय दिया है। वहां की लोगों की इच्छा और बदलाव को ध्यान में रखकर हमने अगले माह में असेम्बली का चुनाव कराने का निर्णय किया है। और कश्मीर में स्थिति को सामान्य बनाने, लोकप्रिय सरकार बहाल करने का कार्य पूरा करेंगे।

हमारे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिंसा और जातिय दंगों और आतंकवाद को रोकने के लिए विशेष ध्यान और सहायता देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किये जायेंगे। हम उनके शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठावेंगे।

प्रभावी प्रशासन के साथ-साथ विदेशी घुसपैठियों और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठावेंगे। हमारे विचार में कुशल और स्वच्छ प्रशासन आज की जरूरत है। इसके लिए हमें पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। ईमानदारी और जवाबदेही प्रशासन के मूल मंत्र होने चाहिए। सबसे पहले काम यह होगा कि मनमाना निर्णय लेने की संभावनाओं को कम किया जाये। हमारी कार्य प्रणाली सरल और अधिक पारदर्शी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्त और साफ सुथरा प्रशासन देने के अपने वायदों को पूरा करने के लिए हमने कदम उठाया है।

भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए हमारी एजेंसीयों को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। भ्रष्टाचार विशेषकर उच्च पदों पर भ्रष्टाचार से लोगों में बहुत चिंता है। जो भ्रष्टाचार को रोके और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में आम लोगों का विश्वास जगाए, ऐसी भी संस्थाओं का निर्माण करना और उन्हें मजबूत बनाना होगा।

लोकपाल की न्युक्ति के प्रस्ताव पर कई वर्षों से चर्चा की जाती रही है। हम संसद में एक विधेयक लाकर इस संस्था को वास्तविक रूप देने जा रहे हैं। हम अपनी चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार लाना चाहते हैं। चुनाव सुधार के लिए प्राप्त सभी सुझावों का हम अध्ययन करेंगे। जिनका उद्देश्य चुनावों में बाहुबल के इस्तेमाल को समाप्त करना है और अनुचित तरीकों पर रोक लगाना है, तथा राजनैतिक दलों की जवाबदेही तय करना है। शुरुवात के तौर पर हमने चुनाव कानून में संसोधन किया है। इसमें बूथ कैप्चरिंग जैसे चुनाव अपराधों के लिए सख्त सजा की व्यवस्था की गयी है। साथ ही चुनाव में शौकिया तौर पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों को डिसकरेज करने और चुनाव प्रचार की अवधि कम करने का प्रावधान किया है।

उत्तर प्रांत के लोगों की अलग राज्य बनाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तर प्रांत राज्य की संरचना के लिए हम जल्द ही एक विधेयक लायेंगे। हमने फैसला किया है कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत इस विधेयक को उत्तर प्रदेश के आगामी विधान सभा चुनावों के बाद प्रदेश विधान मंडल के विचार जानने के लिए, उनके समक्ष रखेंगे। उसके पश्चात इस

विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। उत्तर के प्रांत की संरचना शिघ्र ही की जा सके। हमें विश्वास है कि सरकार की इस निर्णय से उत्तर प्रांत के लोगों की आशा और आकांक्षा पूरी होगी।

आज संसार में तेज आर्थिक विकास का कोई विकल्प नहीं है। राष्ट्र की मजबूती और स्थिरता अर्थव्यवस्था की प्रगति पर निर्भर करती है। यह हमारी आत्म निर्भरता, आधुनिकीकरण और गरीबी हटाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। हमें दुनिया में विकसित तकनीकी और वित्तीय अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हमें बेइमानी और अड़चनों को हटाकर लोगों को काम करने का पूरा अवसर देना है। गरीबों के कल्याण पर बल देना हमारी आर्थिक नीति का एक मुख्य हिस्सा है। यह निश्चित करना जरूरी है कि विकास के लाभ गरीबों तक पहुंचें, और आमदनी और अवसरों के अंतर को कम किया जाये।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते समय हम कृषि की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। कृषि विकास को तेज किये बिना, तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करना या गरीबी को हटाना हमारे लिये संभव नहीं होगा। आर्थिक विकास में तेजी केवल नारो से नहीं आ सकती हैं। अधिक जल, बिजली, सड़के नयी तकनीकें, खाद, अच्छे बीज और पर्याप्त ...**(अस्पष्ट) 15:10** देकर ही आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सकता है। हमने कृषि में अधिक निवेश करने के लिए कदम उठाए हैं। फास्फोरस और पोटैशियम फर्टिलाइजर में छूट देकर उनकी कीमतों में बहुत कमी लायी गयी है। इससे किसानों की उपज बढ़ेगी और उनका आर्थिक विकास होगा। किसानों को अपनी जमीनों के लिए अधिक पानी की जरूरत है। हम जल बंटवारे और जल प्रबंध पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करेंगे। जल बंटवारे और उसकी उपयोगिता तथा सिंचाई योजनाओं से प्रभावित के पुनर्वास से संबंधित अनेक मुद्दे हैं, राष्ट्र के हित में इन मुद्दों को बातचीत के द्वारा हल किया जाना चाहिए। जल्द ही एक नीति लाएंगे।

सरदार सरोवर योजना पर गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच हाल के समझौते से यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे मुद्दों को बातचीत से हल किया जा सकता है। मुझे इस बात का दुख है कि हम आजादी प्राप्त करने के इतने वर्षों बाद भी हम लोगों के विशेषकर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के मूलभूत सेवाएं पूरी तरह नहीं दे पायें हैं। सरकार की योग्यता और क्षमता में लोगों को विश्वास तभी जगेगा, जब हम प्रत्येक नागरिक को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करा दें।

मैंने पिछले माह दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। उसमें हमने निश्चय किया है कि ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में लोगों के लिए साफ पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, बिजली और सड़को की व्यवस्था हो, और बेघर गरीब परिवारों के लिए घर हो। गांव और शहरी बस्तियों के प्राइमरी स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सम्मेलन में 2000 तक ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाने पर विचार हुआ है। आवश्यकत सेवाएं, सूखे क्षेत्रों के विकास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के कल्याण के लिए अधिक धन खर्च किया जायेगा।

शहर की जुग्गी-झोपडियों में रहने वाले लोगों को अभी तक घर और अन्य नागरिक सुविधाएं नहीं मिल पाएं हैं। इस कार्य के लिए इस वर्ष हम 250 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के संचालन में राज्यों की अधिक से अधिक भागीदारी रहेगी।

हम 8वीं योजना में ग्रामीण विकास के लिए 30 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 9वीं योजना में कम से कम 60 हजार करोड़ रुपए कर देंगे। पंचायती राज्य संस्थाओं के काम का क्षेत्र बढ़ाया गया है। और उन्हें ज्यादा अधिकार मिले हैं।

हमारे अर्थव्यवस्था में उत्पादन से जुड़े कार्यों विशेषकर रोजगार के लिए बहुत नये अवसर उपलब्ध हैं। गरीब परिवारों के शिक्षित युवा ही अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस समय रोजगार की कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए...**(अस्पष्ट) 19:29** स्वरोजगार कार्यक्रम लागू

करने का हमारा प्रस्ताव है, जिससे इस वर्ष में 10 लाख युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। युवाओं को प्रशिक्षण ज्यादा सबसिडी तथा रूम दिया जायेगा। इस कदम से बिना किसी जाति, धर्म या किसी अन्य भेदभाव के बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को लाभ मिलेगा। हमारे कारिगरों, शिल्पकारों, बुनकरों और मछुवारों के बारे में विशेष रूप से चिंतित हूं। उन्हें भी इन अवसरों से लाभ मिलना चाहिए। इस समय गरीब परिवारों के काम तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने का सुनिश्चित योजना चल रही है। यह योजना देश प्रत्येक 10 ब्लॉक से 5 ब्लॉक में ही चल रही है। हमारी सरकार इस योजना को अगले 2 वर्ष में सभी ब्लॉक में चलायेगी।

सार्वजनिक वितरण की प्रणाली की बहुत आलोचना है। कई राज्यों में गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। अब हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रभावित तरीके से विस्तार करने का निर्णय लिया है। जिससे गरीब परिवारों को हर महीने सामान्य से कम कीमत पर 10 किलो ग्राम चावल और गेहूं दिया जा सके। यह योजना इस वर्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लागू होगी। इस योजना के पूरी तरह लागू होने के बाद करीब 34 करोड़ गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार दलितों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पीछड़े वर्गों का प्रतीक है। हम उनके आत्म विश्वास और सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार उनको आर्थिक स्वतंत्र शिक्षा और समान अवसर दिलाने के लिए कदम उठाएंगे। इन वर्गों के लोग अधिकतर या तो भूमिहीन हैं अथवा वे छोटे किसान हैं। भूमि विकास तथा सिंचाई न होने के कारण इनकी जमीनें उपजाऊ नहीं हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

हमने गंगा कल्याण योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत पूरे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पीछड़े वर्गों के गरीब किसानों को भूमि विकास, बागवानी और सिंचाई के सुविधाओं के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करेगी।

महिलाएं, जिनकी आबादी देश में अधिक नहीं है, समाज के कमजोर वर्गों में से हैं। देश के शासन में उनकी भागीदारी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने राज्य विधान मंडल और संसद में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की अपनी योजना पहले ही घोषित कर दी है। इसी तरह सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित करने के पहल पर विचार किया जा रहा है।

हालांकि विकलांगों के लिए संसद ने एक व्यापक कानून बना दिया है। फिर भी उनके लिए समान अवसर नहीं है। हम राज्य सरकारों के सहयोग से विकलांगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून को प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। हर राज्य में प्रशिक्षण और मूलभूत पुनर्वास सेवाएं देने वाली संस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी तरह हर जिले में विकलांगों के पुनर्वास केन्द्र और प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता है। हम नौकरियों में विकलांगों के लिए आरक्षण के समान रूप से जारी करने और उनके कल्याण की योजना में सुधार करने के लिए कदम उठाएंगे। गांव में रहने वाले विकलांग लोगों के समूह संगम के नाम से संगठित किया जायेगा। हर संगम को आर्थिक कार्यों के लिए 15 हजार रुपये दिये जायेगा।

हमें संसार में सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश होने का सम्मान प्राप्त है। इस पर हमें गर्व है। तेजी से बढ़ रही हमारी जनसंख्या के कारण विकास के बहुत से लाभ हमें नहीं मिल पाते हैं। केरल और पंजाब जैसे कुछ राज्य ने आबादी के दर में कमी लाने में बहुत सफलता पाई है। ये बहुत जरूरी है कि अन्य सभी राज्यों में जनता और सरकार दोनों मिलकर छोटे परिवार के मांग को बढ़ावा दें। इसके लिए ठोस कार्य करें, ताकि विकास के लाभ सभी को मिल सके।

आज के पावन अवसर पर मैं देश की सशस्त्र सेनाओं को अभिवादन करता हूँ। जो देश विभिन्न भागों में और अनेक कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से अपना कार्य कर रही है। हमें उनकी उपलब्धियों और समर्पित सेवा पर गर्व

है। हम हर कीमत पर अपनी सुरक्षा सेनाओं के मनोबल को बनाए रखेंगे। उनके इक्यूपमेंट और लड़ाकू क्षमता को भी बनाए रखेंगे। हम तीनों सशस्त्र सेनाओं और सुरक्षा बलों जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिये हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमें अपने पड़ोस में नये और आधुनिक हथियारों के जमाव को ध्यान में रखना है।

मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं करेंगे। स्वदेशिक क्षमता को हम हर तरह से बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। हमने अपने टैंक और लड़ाकू विमान बनाने तथा अग्नि और पृथ्वी जैसी अपनी मिशाइल विकसित करने में प्रगति की है। इन सभी कार्यक्रमों को पहले से निर्धारित नीति के अंतर्गत जारी रखा जायेगा।

हमारे वैज्ञानिक अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने न केवल हमारी सुरक्षा क्षमता बढ़ाई है बल्कि हमारे नागरिक कार्यक्रम में भी योगदान दिया है। अंतरिक्ष अनुसंधान यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। इस वर्ष मार्च में हमने दूसरी बार सफलता के साथ पोलर सेटेलाइट लॉन्च विकल छोड़ा, जिसने अंतरिक्ष में एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट स्थापित किया है। हमारी गिनती विश्व के उन गिने-चुने देशों में है, जिन्होंने इस क्षमता को हासिल किया है।

हमारी विदेश नीति, हमारे राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसका क्षेत्र व्यापक है। इसमें विदेशी वातावरण को अपने अनुकूल बनाना भी शामिल है। हम पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने को प्राथमिकता देते हैं। हम बाइलेटरल और सार्क के तहत क्षेत्रिय सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम सभी शेष मुद्दों को आपसी बातचीत से हल करना चाहते हैं। और अपने पड़ोसियों से रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करते हैं।

यह संतोष की बात है कि हमारा देश दक्षिण-पूर्व एशिया देशों के संगठन का फुल डायलॉग पार्टनर तथा एशियन रीजनल फॉरम सदस्य बन गया है। हम यूनाइटेड नेशन के सक्रिय सदस्य हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस के शांति स्थापना कार्यों में पूरा सहयोग दिया है तथा उसके और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम को पर्याप्त बढ़ावा दिया है। हमारा विश्वास है कि एक्सपेंडेड सेम्यूरिटी काउंसिल के एक स्थाई सदस्य के रूप में कार्य करने का हमारा दावा उचित है। यूनाइटेड नेशंस की विस्तारित सदस्यता सही अर्थ में सुरक्षा परिषद में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। और विकासशील देशों के स्थाई सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

आज विश्व सुरक्षा के लिए हथियारों पर के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता है। हमने कैमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों को समाप्त करने की संधियां की हैं। आज विनाशकारी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की आवश्यकता है। हमें आशा थी कि इस संबंध में जिस सीटीबीटी की चर्चा चल रही है। उससे एक निश्चित समय में दुनिया से परमाणु हथियार समाप्त हो जायेंगे। लेकिन परमाणु हथियार वाले देश इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे परमाणु हथियारों पर अपना अधिकार बनाये रखना चाहते हैं। हम इस पर सहमत नहीं हो सकते।

हमें अपने आस-पड़ोस में खुले तथा गुप्त दोनों ही प्रकार के कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखना है। इसलिए हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी ऐसी टेस्टबैन संधि का विरोध करेगा। जो हमारे ऊपर न मानने वाली शर्तें थोप दिये हों। इस फैसले में देश हमारे साथ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। देशवासियों आज हम अपनी आजादी के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी सफलताओं और विफलताओं पर विचार करें, और आगे बढ़ें। आजादी के बाद से अब तक हमने बहुत कुछ हासिल किया है। जो हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास और प्रेरणा देता है। जो भूल हुये हैं, उन पर हमें सोचना है कि आखिर हम कहां गलत हैं। सफलताओं पर हमें घमण्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गलतियों और विफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए।

विश्व में तेजी से बदलाव आ रहे हैं और वे हमारे रुक नहीं सकता। हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। बल्कि आगे बढ़ना होगा, ताकि भारत को शिघ्र ही विश्व में अपना उच्च स्थान मिल सके। हमारे इतिहास का यह एक

महत्वपूर्ण मोड़ है। हमारा देश अगले कुछ वर्षों में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने जा रहा है। देश की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए हमें सजग रहना है। हमारे पूर्वजों ने हमें आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है। हमने जहां तक अपने संसाधनों पर भी निर्भर रहना सीखा है। हमारे सामने आंतरिक समस्या और बाहरी दबाव है। आवश्यकता होने पर देश को एकजुट होकर ऐसी किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।

आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद के हमारे अनुभवों से हममें यह विश्वास जगा है कि हम एक सुनहरे और खुशहाल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमारी 95 करोड़ जनता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे वे खेतों में काम करके अनाज उगाते हों या उद्योगों में कार्य करने वाले कुशल मजदूर हों, चाहे वे प्रयोगशाला में होकर कार्य कर रहे वाले वैज्ञानिक हों या हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान हों, या हमारे नौजवान हों। वे सबके सब मिलकर एक मजबूत और खुशहाल भारत के निर्माण में जुटे हैं।

जब भी कोई महान राष्ट्र जन्मता है और आगे बढ़ना शुरू करता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। हम इस महत्वपूर्ण शताब्दी के अंतिम चरण में हैं। हमारे देश में एक नयी चेतना आई है। अब हम 21वीं सदी में प्रवेश की तैयार कर रहे हैं। सरकार एवं प्रत्येक राजनैतिक दल, विचारशील वर्ग और देश के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे इस महान ऐतिहासिक घड़ी में एक निश्चय करें कि उन्हें एक नये भारत का निर्माण करना है। मुझे अपने देशवासियों में पूरा विश्वास है, हमें पूरी आशा, साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा।

आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वे ये संकल्प करें कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण के लिए कार्य करें, जहां जाति-पाति और धर्म से अलग हटकर प्रत्येक भारतीय अपना सिर गर्व से ऊंचा रख सके।

अब आप मेरे साथ मिलकर बोलिए- जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।